

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-16.06.2025

ई-वोटिंग: समावेशी और सुलभ लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल

- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार स्थानीय निकायों के आगामी नगरपालिका आम/ उप निर्वाचन 2025 हेतु पूरी तरह से तैयार हैं। आयोग का सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण और सुलभ मतदान प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए। इसी क्रम में तकनीकी नवाचारों का निरंतर प्रयोग करते हुए आयोग ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में कई मील के पथर स्थापित किए हैं।
- अब तक बायोमेट्रिक एवं फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) से मतदाता पहचान, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से मतदान, ब्रजगृह में डिजिटल लॉक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) से मतगणना और परिणाम तैयार करना एवं संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, आयोग की तकनीकी दक्षता को दर्शाता है।
- इसी कड़ी में आयोग ई-वोटिंग (e-Voting) प्रणाली की शुरुआत कर रहा है, जो वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिला एवं प्रवासित मजदूर मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर उनके घरों से ही सुरक्षित, गोपनीय एवं सुलभ तरीके से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह सुविधा एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिससे ऐसे मतदाता जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यह तकनीकी नवाचार केवल सुविधा नहीं, बल्कि समावेशी लोकतंत्र की दिशा में एक निर्णायक और ऐतिहासिक कदम है।
- आयोग द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन 2025 हेतु दो अलग-अलग मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं। जो निम्नवत हैं:-
 - नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 हेतु कुल 3 जिलों के 6 नगर पंचायतों में तीनों पदों (मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद) के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित “eVoting SECBHR” ऐप निर्धारित है
 - नगरपालिका उप निर्वाचन 2025 हेतु कुल 5 जिलों के 6 नगरपालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित - eVoting (SECBIHAR) ऐप निर्धारित है।
- दोनों ऐप्स को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है ताकि मतदाता आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना मतदान कर सकें। यह ऐप नवाचार के



माध्यम से लोकतंत्र के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचने और "कोई मतदाता ना छूटे" के लक्ष्य की ओर एक और सशक्त कदम है।

➤ ई-वोटिंग ऐप के माध्यम से मतदान करने के लिए एंड्रॉइड मोबाइल में मिनिमम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस प्रकार होनी चाहिए :-

- ✓ एंड्रॉइड स्मार्ट फ़ोन।
- ✓ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण 5.0 (लॉलीपॉप) और ऊपर।
- ✓ मोबाइल के आंतरिक स्टोरेज में कम से कम 100 MB मेमोरी उपलब्ध हो।
- ✓ 2 GB रैम और अधिक।
- ✓ 2 MP फ्रंट कैमरा और अधिक।
- ✓ ओटीपी प्राप्त करने और सत्यापित करने के लिए मोबाइल में सक्रिय सिम कार्ड हो।
- ✓ विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन।
- ✓ मोबाइल की बैटरी चार्ज हो।

➤ ई-वोटिंग ऐप से मतदान करने हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ है जो नगरपालिका आम निर्वाचन हेतु अंतिम तिथि 23.06.2025 एवं नगरपालिका उप निर्वाचन हेतु अंतिम तिथि 22.06.2025 निर्धारित है। ई-वोटिंग करने के लिए "eVoting SECBHR" ऐप / eVoting (SECBIHAR) ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद पंजीकरण करने के उपरांत निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन के पश्चात मतदान कर सकते हैं।

➤ विशेष रूप से जो वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिला एवं प्रवासित मजदूर मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाएगी, उसके अतिरिक्त अन्य मतदाता को स्वीकृति दी जाएगी।

➤ एक मोबाइल तथा एक नंबर से अधिकतम दो मतदाता पंजीकरण कर सकते हैं एवं मतदान हेतु जिस मोबाइल और नंबर से पंजीकरण किया गया है उसी मोबाइल से मतदान करना होगा।

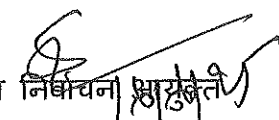
➤ ई-वोटिंग ऐप की मुख्य विशेषताएँ हैं:

स्मार्टफोन आधारित है, सुरक्षित व गोपनीय है, सुविधाजनक एवं ब्लॉक चैन पर आधारित है। एक मोबाइल से अधिकतम दो पंजीकरण किया जा सकता है। इसमें liveness Detection, Face Match, Live Face Scan, Face Comparison, Secure Vote Storage, Audit Trail के साथ साथ पारदर्शिता का भी ध्यान रखा गया और यह ऐप हिन्दी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में



उपलब्ध है। यह एक विकल्प है, जिससे मतदाता घर बैठे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

- मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधा :- कोई भी मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचक सूची में अपना नाम, मतदान केन्द्र का पता, मतदान का कार्यक्रम एवं अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके अलावा कोई भी व्यक्ति/मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नो. 1800-3457-243 पर कॉल करके ई-वोटिंग एवं निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार